सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1832/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

दुर्गा देवी पुत्री गंगाराम रेगर निवासी पारा तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादीया

♠ बनाम ♠

1. गंगाराम पुत्र भीया उर्फ भीवडा रेगर
2. किस्तुर उर्फ किस्तुरा पुत्र भीया उर्फ भीवडा रेगर
   समस्त जाति रेगर निवासी पारा तह. केकडी जिला अजमेर
3. कानी देवी पत्नि गंगाराम रेगर निवासी पारा हाल निवासी बोटुन्दा तह.टोडारायसिह
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
5. उपपजीयन अधिकारी केकडी जिला अजमेर

———प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53,राज. काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राज.भू.राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। प्रतिवादी स.1 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित धारा 136 राज.भू.राजस्व अधि.के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 100 में वर्णित भूमि आराजी में दर्ज कुल किता खसरा नम्बर 8 कुल रकबा 5.64 है. एवं खाता स. 101 के खसरान कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैं. जो कि वादिया एंव प्रतिवादीस. 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजीयात है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स. 2017—20 में वादिया के दादा भिंया उर्फ भीवडा के नाम दर्ज चली आ रही है। वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात में वादिया का 1/4 प्रतिवादी स. 1व 3 का 1/4 प्रतिवादी स. 2 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार वादिया एंव प्रतिवादी स. 1 से 3 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात में आराजी खाता स. 101 में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से गंगाराम,किस्तुरा पिता भीया उर्फ भीवडा , भूरा पुत्र चन्द्रा रेगर का अंकन हो रखा है जबकि भूरा पुत्र चन्द्रा रेगर का निधन हो चुका है। जिसका विलोपित किया जाना वादिया द्वारा चाहा गया है। वादिया के दादा के जीवन काल में वादिया का जन्म हो चुका है जिससे वादिया बाई अडोप्सन ला बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पति का हकदार हो चुकी थी। वाद वर्णित आराजीयात में वादिया एंव प्रतिवादीगण का प्रत्येक इंच इचं पर संयुक्त कब्जा चला आ रहा है लेकिन आराजीयात का बंटवारा नही होने के कारण आये दिन कब्जे काश्त में मनमुटाव होता है। इसलिये वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कराना चाहा है साथ प्रतिवादी स. 1 से 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु निवेदन किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 1—2 की और से अधिवक्ता श्री गणेश सेन एवं प्रतिवादी स. 3 की और से अधिवक्ता श्री दीपचन्द शर्मा ने पावर पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात में जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार अनुसार वादिया द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी पेतृक बताई गई । जो रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है एवं वादिया अपने पिता गंगाराम से घोषणात्मक वाद द्वारा पिता के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा लेना चाहती है। जो उचित है। वादीया का वाद स्वीकार योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात वादिया के दादा श्री भीयां उर्फ भीवडा पुत्र भूरा की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें वादिया का काल्पनिक हिस्सा है। वादपत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वाके ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 100 में वर्णित भूमि आराजी में दर्ज कुल किता खसरा नम्बर 8 कुल रकबा 5.64 है. एवं खाता स. 101 के खसरान कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैं. जो कि वादिया एंव प्रतिवादीस. 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजीयात है। वाद पत्र एव दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार जवाब के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादिया का दावा वास्ते बंटवारा हेुत स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण 1 से 3 को कब्जे काश्त में दखल अंजादी न करने हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है एवं खाता स. 101 में भूरा पुत्र चन्द्रा रेगर का नाम विलोपित करते हुये वादिया को प्रतिवादीस. 1—3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है एंव वादग्रस्त आराजी में वादिया का काल्पनिक हिस्से का बंटवारा किये जाने हेतु तहसील केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में आगामी पेशी तक पेश करें। पत्रावली बटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 10.7.2018 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी